तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	[illegible] की तामील
22.12.2021	प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी अनुपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। तहसीलदार गुड़ामालानी ने यह आवेदन पत्र धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहपठित धारा 82 व 9 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर विप्रार्थी को भूमि आवंटन कमेटी द्वारा मौजा आमलियाला के खसरा नंबर 22 में से रकबा 10 बीघा भूमि की अप्रार्थीगण की खातेदारी से निरस्त कर बिला कब्जा गैर मुमकिन दर्ज करने हेतु मामला राजस्व मण्डल को रैफर करने हेतु पेश किया गया है। हमने राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत रेकर्ड के अवलोकन से यह पाया जाता है कि मौजा आमलियाला में अवस्थित भूमि खसरा नं. 22 रकबा 1658-09 बीघा वक्त सैटलमेंट के समय गैर मुमकिन नदी के रूप में दर्ज थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत चारागाह, नाडी, तालाब, नदी आदि की भूमियां प्रतिबंधित भूमियां है, जिनका आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है एवं न ही खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम राज्य में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 के अनुसरण में उक्त श्रेणी की भूमियों को आवंटन अथवा खातेदारी को अवैध मानते हुए निरस्त करने के निर्देश दिये हैं। आलौच्य आवंटन से सम्बन्धित विवादित भूमि संवत 2012 अर्थात सन् 1955 के प्रथम बंदोबस्त के समय गैर मुमकिन नदी के रूप में दर्ज हुई है। तहसीलदार गुड़ामालानी ने इस संबंध में कोई जॉच नहीं कर बिना कोई रिकोर्ड, कानून के प्रावधानों को ताक में रखकर धारा 16 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम का उल्लंघन कर अप्रार्थी में पक्ष में भूमि आवंटन करने एवं आवंटन के पश्चात् नामान्तरकरण पारित करने में भारी भूल की है, जो निरस्त करने योग्य है। ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में प्रश्नगत भूमि के आवंटन एवं क्रमतर नामान्तरकंरणों को निरस्त करने हेतु यह मामला माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफर किये जाने योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आवंटन कमेटी द्वारा अप्रा[illegible] 1968 को ग्राम आमलियाला नवसृजित ग्राम आनन्द नगर के खस[illegible] 22/2 रकबा 10 बीघा भूमि आवंटन एवं [illegible] खातेद्दारी निरस्त करने हेतु मामला राजस्व [illegible] किया जाता है। आदेश आज दिनांक 22.12.2021 को सुनाया गया। Lok जिला कलक्टर बाड़मेर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.01.06 12:25:42 IST
Reason: SelfAttested